मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 17 मार्च, 2016 (फाल्गुन 27, 1937)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री -

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार -

(i) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (राज्य का वित्त),

(ii) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या-1,

(iii) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का (राजस्व क्षेत्र पर) प्रतिवेदन वर्ष 2016 का प्रतिवेदन क्रमांक-2,

(iv) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) पर वर्ष 2016 का प्रतिवेदन क्रमांक-3 तथा

(v) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर) वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या-4, एवं

(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन (31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष हेतु), वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन (31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष हेतु) एवं वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन (31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष हेतु) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री गोपाल भार्गव, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री, नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम,1995 की धारा 65 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त, नि:शक्तजन मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री सरताज सिंह, लोक निर्माण मंत्री, मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि अधिनियम, 2012 (क्रमांक 18 सन् 2012) की धारा 8 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि का तृतीय वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री कैलाश चावला, सदस्य, नीमच जिले में कृषि हेतु पुजारियों को मुआवजा राशि न दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य, सीधी एवं सिंगरौली जिले में पेयजल संकट होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति / स्वीकृति

(1) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सभापति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वादश प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे कि –

"सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वादश प्रतिवेदन से सहमत है.".

(2) श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति, याचिका समिति का तीसवां, इक्तीसवां एवं बत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का पचासीवां से नब्बेवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री के.के. श्रीवास्तव, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -

(क) ग्राम बड़माड़ई रिगौरा से सुन्दरपुर तक मार्ग को पक्का निर्माण कराये जाने, तथा

(ख) ग्राम बड़ागांव (धसान) में शीघ्र ही शासकीय महाविद्यालय आगामी सत्र से प्रारंभ कराये जाने,

(2) श्री विश्वास सारंग, सदस्य, भोपाल शहर के -

(क) कोच फैक्ट्री रोड से छोला मंदिर तक ओवर ब्रिज बनाये जाने, तथा

(ख) वार्ड क्र. 37 कृष्णा नगर की गलियों में सी.सी. रोड का कार्य पूर्ण किये जाने,

(3) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम मोरे का पुरा में आंगनवाड़ी भवन का निर्माण किये जाने,

(4) श्रीमती शीला त्यागी, सदस्य, रीवा जिले के -

(क) ग्राम मढ़ी को अनु.जाति बस्ती के कठेरी घवैया रोड से जोड़े जाने, तथा

(ख) ग्राम बुढगवां को महमूदपुर मार्ग से जोड़े जाने,

(5) श्री रामपाल सिंह (ब्योहारी), सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम विजयसोता के माध्यमिक विद्यालय को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(6) श्री आर.डी. प्रजापति, सदस्य, छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत खड़ेहा में शा.मा. विद्यालय को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(7) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम बंधी में घोघरा नाले पर बंधान निर्माण किये जाने,

(8) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के -

(क) वि.ख. ग्राम रजाखेड़ी के शा. हाई स्कूल के लिये भवन हेतु जमीन उपलब्ध कराये जाने, तथा

(ख) तहसील नरयावली में महाविद्यालय खोले जाने,

-2-

(9) श्री लखन पटेल, सदस्य, दमोह जिले के वटियागढ़ विकासखण्ड में महाविद्यालय भवन स्वीकृति किये जाने,
(10) कुंवर विक्रम सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के -
(क) राजनगर में शासकीय महाविद्यालय के भवन का निर्माण कराये जाने, तथा
(ख) लवकुश नगर के शा. महाविद्यालय में विज्ञान संकाय संचालित किये जाने,
(11) श्री कैलाश चावला, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम करणपुरा उद्वहन सिंचाई परियोजना को चेनपुरिया में शिफ्ट किये जाने,
(12) श्री सचिन यादव, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम खड़कवानी के नयापुरा में विद्युतीकरण कराये जाने,
(13) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के -
(क) ग्राम गुढ़ के नगर पंचायत के वार्ड नं. 06 में हीरालाल वर्मा के मकान से चिकान टोला तक पक्की नाली बनाये जाने, तथा
(ख) ग्राम पोस्ट शाहपुर की भूमि के खसरों को कम्प्यूटरीकृत नक्शा में दर्ज किये जाने,
(14) श्री मुकेश नायक, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम देवरी के माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(15) श्री प्रताप सिंह, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम हरदुआ में माध्यमिक शाला का उन्नयन कर हाई स्कूल किये जाने,
(16) पं. रमाकान्त तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम पटहट के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन हाई स्कूल में किये जाने,
(17) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम गुड़े से सरसेड़ शिव मंदिर तक सड़क निर्माण किये जाने,
(18) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य, रीवा जिले के हनुमना तहसील अंतर्गत पूर्व मा.वि. बिझौली गहरबरान को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(19) श्री दिनेश राय "मुनमुन", सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम तिलबोड़ी, देवरीकला, सिहोरा सहित अन्य ग्रामों में पेयजल समस्या का निराकरण किये जाने,
(20) श्री गोविंद सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के निवावर में शा. माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(21) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम बड़गांव में सामुदायिक भवन स्वीकृति किये जाने,
(22) श्री घनश्याम पिरौनियां, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम खिरीया खोदस में दस मीटर मार्ग का निर्माण कराये जाने,
(23) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य, दमोह जिले के हटानगर में एक आदर्श नवीन रेस्ट हाऊस स्वीकृत किये जाने,
(24) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम गिन्दौरहाट के शासकीय हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
(25) श्री हर्ष यादव, सदस्य, सागर जिले के ग्राम सिमरिया वि.ख. देवरी में पूर्व से निर्मित स्टाप डेम का गहरीकरण एवं जीर्णोद्धार किये जाने,
(26) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के पलेरा में शासकीय महाविद्यालय की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण किये जाने,
(27) श्री आशीष गोविंद शर्मा, सदस्य, देवास जिले के ग्राम बण्डी से सुलगांव के मध्य जामनेर नदी पर पुल बनाये जाने,
(28) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, सीधी जिले के ग्राम पड़ैनिया के माध्यमिक विद्यालय को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(29) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम पंचायत रसीलपुर में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,
(30) श्री सुशील कुमार तिवारी, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम फूटाताल के एन.एच. 7 पर सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण किये जाने,
(31) श्री कुंवर सिंह टेकाम, सदस्य, सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत निगरी के बसोर बस्ती में सड़क के दोनों ओर पक्की नाली का निर्माण किये जाने,
(32) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य, कटनी जिले के -
(क) ग्राम मझगवां में सामुहिक ट्यूबवेल योजना शुरू किये जाने, तथा
(ख) कटरिया जलाशय की मेढ़ की ऊंचाई बढ़ाये जाने,
(33) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम देवपुरा रूनीजा मार्ग पर पुलिया निर्माण किये जाने,
(34) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम कांकर देही में जल संकट दूर किये जाने,
(35) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य, खण्डवा जिले में परमपूज्य दादाजी दरबार मेला क्षेत्र हेतु विशेष पैकेज राशि स्वीकृत किये जाने,
(36) श्रीमती ललिता यादव, सदस्य, छतरपुर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराये जाने,
(37) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य, अशोकनगर जिले के ग्राम शौरा कटारिया को बाबरौद तक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़े जाने,
(38) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम टेंटरा धोबिनी मार्ग का पुनर्नवीनीकरण एवं दोहरीकरण मार्ग का कार्य स्वीकृत किये जाने,
(39) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम मूंडला कला के मिडिल स्कूल का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(40) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य, हरदा जिले के ग्राम ऊड़ा व भाट पटेरिया के बीच टिमरन नदी पर पुल निर्माण किये जाने,
(41) श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य, भोपाल शहर के राजहर्ष कॉलोनी आवास क्रमांक बी-35/1 के सामने से बी-34/1 तक, लगभग 50 फिट पक्की सड़क बनाये जाने,
(42) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम भावनखेड़ी के रास्ते पर स्थित बस्ती में एक नवीन हैण्डपंप खनन किये जाने,
(43) श्री विजयपाल सिंह, सदस्य, होशंगाबाद जिले के शासकीय आदिवासी छात्रावास खारदा की बिल्डिंग का कार्य पूर्ण किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 3 सन् 2016) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 4 सन् 2016) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 5 सन् 2016) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

7. वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

निर्धारित समय			
2 घंटे (शेष 1 घंटा 20 मि.)	(1)	मांग संख्या – 55	महिला एवं बाल विकास
1 घंटे	(2)	मांग संख्या – 21	लोक सेवा प्रबंधन
		मांग संख्या – 36	परिवहन
		मांग संख्या – 46	विज्ञान और टेक्नालॉजी
3 घंटे	(3)	मांग संख्या – 19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
		मांग संख्या – 28	राज्य विधान मंडल
		मांग संख्या – 38	आयुष
		मांग संख्या – 72	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास
		मांग संख्या – 73	चिकित्सा शिक्षा
2 घंटे	(4)	मांग संख्या – 14	पशुपालन
		मांग संख्या – 16	मछली पालन
		मांग संख्या – 20	लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी
		मांग संख्या – 29	विधि और विधायी कार्य
		मांग संख्या – 50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण
		मांग संख्या – 56	ग्रामोद्योग

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2016 (क्रमांक 2 सन् 2016) का पुर:स्थापन * करेंगे.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 16 मार्च, 2016

*** मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरंत पश्चात्.**